489

कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर

कमांक: 533 दिनांक: 13.7.12

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि. वृत-अजमेर
पत्र प्र.क्र. 461 दिनांक 18-7-12

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
सा.नि.वि., सम्भाग–.....(समस्त)

अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि., वृत–अजमेर.....(समस्त)

विषयः– रोड बर्म्स पर ग्रामीण द्वारा अतिक्रमण, मेड़बन्दी व सडक पर किसानों के फब्बारे आदि से सडक क्षतिग्रस्त होने बाबत एवं सडकों पर डी.एल.पी. (DLP) के कम में।

महोदय,

प्रायः यह देखा गया है कि कई स्थानो पर सडके ग्रामीणों द्वारा बर्म्स पर अतिक्रमण/मेड बन्दी करने तथा किसानों के फब्बारे आदि से क्षतिग्रस्त होती है। अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता अपने कार्य क्षेत्र में सडक बर्म्स पर अतिक्रमण/मेड बन्दी करने वालो के विरूद्ध प्रशासन एवं पुलिस की सहायता से प्रभावी कार्यवाही करेगें। सडक को क्षतिग्रस्त करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के परिपत्र–12, कमांक एफ 59 (1)/अनु–।।/76 दिनांक 21.8.1978 द्वारा निर्देशित किया गया था। जिसमें आई.पी.सी. की धारा 431 एवं 432 में कानूनी कार्यवाही हेतु निम्न प्रावधान हैः–

"431- Mischief by injury to public road, bridge, river or channel: - Whoever commits mischief by doing any act which renders or which he knows to be likely to render any public road, bridge, navigable river or navigable channel, natural or artificial, impassable or less safe for travelling or conveying property, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, or with fine, or with both."

"432- Mischief by causing inundation or obstruction to public drainage attended with damage:- Whoever commits mischief by doing any act which causes or which he knows to be likely cause an inundation or an obstruction to any public drainage attended with injury are damages shall be punished with imprisonment for term which may extent to five years, or with fine or with both".

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि संवेदको से डी.एल.पी. (DLP) के दौरान अनुबन्ध के अन्तर्गत निर्धारित रूटीन मरम्मत कार्यो को सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें। साथ ही स्पष्ट किया जाता है कि कि संवेदक का दायित्व उसके द्वारा सम्पादित कार्य में डिफेक्ट तक ही सीमित है अर्थात जिस आइटम में डिफेक्ट नही हुआ है, उसके लिए संवेदक का दायित्व नही होगा।

13/7/12
मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव
सा0नि0वि0 राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान, सरकार जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सा.नि.वि., राजस्थान, सरकार जयपुर
3. मुख्य अभियन्ता (पथ)/एन.एच./एस.एच./भवन/पीएमजीएसवाई
4. वित्तीय सलाहकार, सा.नि.वि., राजस्थान, जयपुर

13/7/12
मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव
सा0नि0वि0 राजस्थान जयपुर